

उच्च शिक्षा विभाग के मंथन 2007 के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेशों का संकलन

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा,

मंत्रालय-भोपाल, 462004

क्रमांक / 595 / 201 / आउशि / योजना / शाखा-8 / 07
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 / 04 / 2007

समस्त प्राचार्य

शासकीय उत्कृष्ट / स्वशासी / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित जनभागीदारी समिति की निधि।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का ज्ञान क्रमांक 4600 / 97 / 38 / सी-3,
दिनांक 23.02.1997

राज्य शासन द्वारा जारी सम संख्यक ज्ञाप दिनांक 23.02.1997 के पैरा-03 अनुसार जनभागीदारी समिति की निधि बैंकों में रखी जाने वाली राशि एवं बैंक खाते के प्रचलन के संबंध में जारी निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

"जनभागीदारी समिति की निधि हेतु अनुसूचित बैंक में, प्राचार्य जो कि जनभागीदारी समिति के पदेन सचिव होते हैं के नाम से खाता खोला जायेगा तथा इस खाते से जनभागीदारी समिति के निर्णय उपरान्त, प्राचार्य (सचिव) के हस्ताक्षर से राशि का आहरण किया जायेगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

(डॉ उमेश सिंह)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा

भोपाल, दिनांक 26.04.2007

पृक्र 596 / 201 / आउशि / यो / शाखा-8 / 07

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल (मप्र) को सूचनार्थ।
- 2 आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, पाँ चर्वी मंजिल, ए-बी विंग, भोपाल (मप्र)।
- 3 उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उनके ज्ञाप क्रमांक एफ-11-117 / 2006 / एक / 9, दिनांक 8.01.2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 4 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर एवं भोपाल होशंगाबाद संभाग (मप्र)
- 5 कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय (मप्र)
- 6 संचालक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (मप्र)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा विभाग के मंथन 2007 के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेशों का संकलन

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन-भोपाल, 462004
// परिपत्र //

भोपाल, दिनांक 24/07/2007

क्रमांक/733/598/आउशि/शाखा-4/07:: आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य का पद रिक्त होने पर महाविद्यालयों में पदसी प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों को वरिष्ठता सूची अनुसार अनिवार्यता वरिष्ठतम प्राध्यापक को ही महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य का कार्यभार सौंपा जाय। कनिष्ठ प्राध्यापक को किसी भी स्थिति में प्राचार्य का प्रभार न सौंपा जाय।

हस्ताक्षर
(डॉ के डी शाक्य)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,भोपाल
भोपाल, दिनांक 24.07.2007

पृक्र 734/598/आउशि/शाखा-4/07
प्रतिलिपि:-

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपर्युक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें, तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें। यदि इस निर्देश के पालन में आवश्यक हो तो कारण एवं प्रमाण दर्शाते हुए प्रकरण प्रभार पूर्व अनुमति हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

हस्ताक्षर
(डॉ के डी शाक्य)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,भोपाल